## Sanctioned programmes along with annual intake in the institutions (NCTE Regulation 2014 Clouse 7(14)(I)(a)

## **Droan B.Ed College for Women**

Village-Chandayan, Sunderpur Road, Dinehpur, District-Udham Singh Nagar (Uttarakhand)

Sr. No.	Courses	Annual Intake	Duration	Exam System
1.	Bachelor of Education			
	(B.Ed.)	50	2 Year	Semester



संख्या 2171/जीoएसo(शिक्षा)/A3-4/2018

प्रेषक,

रविनाथ रामन, कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

**कुलपति,** कुमांऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।

राज्यपाल / कुलाधिपति सचिवालय : उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 27 अगस्त, 2024

महोदय,

कृपया कुमांऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल द्वारा एफीलियेशन पोर्टल पर प्रेषित प्रस्ताव क्रमांक संख्या : 230621123703 दिनांक 07.03.2024 एवं आख्या पत्रांक संख्या : 254 दिनांक 22.06.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें द्रोण बी०एड० कालेज फॉर वूमेन, दिनेशपुर, उधमसिंह नगर को बी०एड० पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2023—24 की 50 सीटों हेत् अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तृति सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2— उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या, कुलसचिव एवं कुलपित की संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा—37(2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीट एवं अविध के साथ अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा० कुलाधिपित द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ अनुमोदन/स्वीकृति प्रदान की गई है :—

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण की अवधि
01	द्रोण बी०एड० कालेज फॉर वूमेन, दिनेशपुर, उधमसिंह नगर।	बी०एड०	50 सीट	2023-24

- (1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपित की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करे व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपित महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध कराये।
- (2) विश्वविद्यालय अनिवार्य रूप से शैक्षिक सत्र 2024—25 तक उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 649, दिनांक 14. 12.2016 में पाठ्यक्रमानुसार निर्धारित प्राभृति बंधक रखवाना सुनिश्चित करेगा।
- (3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी० विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरुप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति मे अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय.

I/2171/2024 I/2171/2024

> Signed by Ravinath Raman Date: 27-08-2024 15:29:55

( रविनाथ रामन ) कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 217। /जी०एस०(शिक्षा)/A3-4/2018 तद्दिनांकित। प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 2. निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।
- 3. प्रबन्धक / प्राचार्य-सम्बन्धित संस्थान।
- ्र कम्प्यूटर प्रकोष्ठ / गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

-03-

(स्वाति एस० भदौरिया) कुलाधिपति के अपर सचिव।